

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-124/2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दिनेश रावत (ग्राम प्रधान), ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री दिनेश रावत (ग्राम प्रधान), ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-26/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित हर्षिल शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि हर्षिल क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या का मुख्य कारण सब-स्टेशन के निर्माण न होने के कारण हो रही है, जबकि सब-स्टेशन के निर्माण हेतु हर्षिल क्षेत्र की जनता द्वारा विभाग को जगह भी उपलब्ध करा दी गयी है लेकिन विभाग द्वारा आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादी का मंच से अनुरोध है कि उक्त समस्या का निराकरण कर सभी उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया। विपक्षी/विभाग को मंच द्वारा दिनांक 11.11.2024, 16.11.2024 एवं 18.12.2024 तक समय दिया गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 809/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त स्थल की लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु उनके द्वारा पत्रांक 801/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से संबंधित अवर अभियन्ता को स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या प्रस्तुत होते ही मंच को अनुपालन आख्या से अवगत करा दिया जाएगा।

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

K. R. R. R.
19/12/24

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 844/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि ग्राम हर्षिल में क्षेत्र में अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया कि यात्राकाल में 33/11 के0वी0 उपसंस्थान मल्ला में 33 के0वी0 सप्लाई तिलोथ पॉवर हाउस से 30 के0वी0 से 32.5 के0वी0 प्राप्त होने व 11 के0वी0 हर्षिल फीडर की अधिक लम्बाई 70 कि0मी0 तथा यात्राकाल में हर्षिल फीडर पर लगे कुल 60 परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) में से अधिकतर पूर्ण क्षमता से विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिससे क्षेत्र में यात्राकाल के समय अधिक लोड होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। वर्तमान में हर्षिल क्षेत्र में लोड घटने के उपरान्त वोल्टेज सामान्य है। विभाग द्वारा फारेस्ट विभाग/उरेडा/उद्यान विभाग से हर्षिल या आस-पास 33/11 के0वी0 उपसंस्थान निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु उच्चाधिकारियों से लगातार सम्पर्क स्थापित किया गया है परन्तु वन विभाग द्वारा भूमि की संस्तुति वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। RDSS योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा हर्षिल क्षेत्र में 33/11 के0वी0 उपसंस्थान प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से लो-वोल्टेज की समस्या का निस्तारण किया जाना संभव होगा।

मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया और उभय पक्षों को सुना। विभाग द्वारा लो-वोल्टेज की समस्या स्वीकार की गयी, और यह अवगत किया कि हर्षिल फीडर में लोड अधिक होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या है, और समाधान हेतु 33/11 के0वी0 उपसंस्थान (जो कि RDSS योजना में प्रस्तावित है) बनने से समस्या का निदान संभव है पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जबकि उपभोक्ता का कथन है कि भूमि उपलब्ध कर दी गई है।

UERC (Standards of Performance) Regulations 2022 की अनुसूची-I **Guaranteed and Overall Standards of Performance** के पैरा 1.3 में **Quality of Power Supply** के अन्तर्गत विनियम 1.3.1(1) के मानक नियत किए गए हैं, और पैरा 1.3.1(2) में वोल्टेज की समस्या का निस्तारण हेतु समय सीमा तय की गई है। तथा अनुसूची-III में तय समय सीमा पर समस्या का निस्तारण न होने पर विपक्षी/विभाग परिवादी को प्रतिपूर्ति देने के मानक दिए गए हैं।

उपरोक्त विनियमों के अनुसार वोल्टेज की समस्या का निदान में **Installation & Up-grading of HT/LT System** की समय सीमा 180 दिनों में करना अनिवार्य है। समय पर समस्या का निदान न होने पर मंच प्रतिपूर्ति राशि Award करने का विनियम से बाध्य है।

उपरोक्त विनियम निम्नवत है-

1.3.1 Voltage variations:

(1) *The Licensee shall maintain the voltages at the point of commencement of supply to consumer within the limits stipulated hereunder, with reference to declared voltage:*

- a) *In the case of Low Voltage (LT), +6% and -6%*
- b) *In the case of Hige Voltage (HT), +6% and -9%, and,*
- c) *In the case of Extra High Voltage (EHT), +10% and -125%.*

(2) *The voltage problem shall be resolved with the time limits specified in Table given below.*

Installation & Up-gradaion of HT/LT System	Within 90 days- for LT System Within 180 days- for HT System
--	---

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

उपभोक्ता संवेद्य
19/12/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

तकनीकी संवेद्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

कुंठाराम
19/12/24
क्र.सं. 3
न्यायिक संवेद्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की वोल्टेज की समस्या का निस्तारण उपरोक्त विनियम के अनुसार 180 दिवसों के भीतर करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(Signature)
19/12/24
(संतोष भट्ट)

उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

(Signature)
19/12/24
(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)

तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

(Signature)
19/12/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)

न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-214 / 2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गोठारी देवी पत्नी श्री छोटा लाल, ग्राम भैलुन्ता प्रतापनगर टिहरी।

परिवादिनी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती गोठारी देवी पत्नी श्री छोटा लाल, ग्राम भैलुन्ता प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-07/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच11109002781 पर विगत कई माह से विद्युत बिल एन0ए के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है, जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा पत्रांक 131/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 07.12.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

उक्त परिवाद की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संयोजन लेजर प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि

19/12/24

19/12/2024

क्रमशः 2.....
19/12/24

परिवादिनी ने अधिक बिल आने और बिल एन0ए0 पर निर्गत करने की शिकायत की गई। इस पर विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी को एन0ए0 पर जारी बिलों को संशोधित कर परिवादी के रु0 7486.00 (सात हजार चार सौ छियासी) के बिल में रु0 2269.00 (दो हजार दो सौ उनहत्तर) का समायोजन दिया गया। अब परिवादिनी को अवशेष धनराशि रु0 5217.00 (पांच हजार दो सौ सत्रह) जमा करना शेष है। विपक्षी की कार्रवाई से परिवादिनी को अवगत कराया गया जिस पर परिवादिनी ने पूर्ण संतुष्टि जाहिर की। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्न आदेश दिया जाता है।

:: आदेश ::

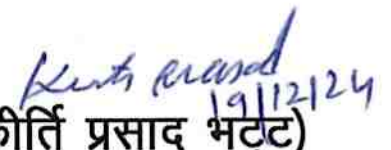
परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादिनी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभाक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +91 7895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-142/2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जानकेश्वरी मधुरराम ग्राम बार्सू तहसील भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जानकेश्वरी मधुरराम ग्राम बार्सू तहसील भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-11/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0क21121847693 पर विद्युत खपत की जांच हेतु चैक मीटर स्थापित किया गया था जिसके पश्चात मैन मीटर एवं चैक मीटर के बीच 98 यूनिट का अन्तर आने पर विभाग द्वारा पुराना मीटर बदलकर नया मीटर स्थापित कर दिया गया था। मीटर बदलने के बाद भी बिल रु0 8145.00 (आठ हजार एक सौ पैंतालिस) का आया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-108/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-13/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-25/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 830/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 03.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता

16/12/24

16/12/2024

16/12/24

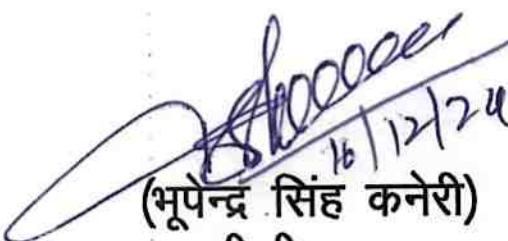
के पर दिनांक 22.06.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 15.07.2024 को चैक मीटर उतारते समय पाया गया कि पूर्व स्थापित मीटर और चैक मीटर की खपत क्रमशः 275 व 177 है। जिसमें कि 98 यूनिट का अन्तर ज्यादा पाया गया था, जिसके आधार पर उपखण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2024 को विद्युत बिल को संशोधित कर संशोधित धनराशि रु0 386.00 (तीन सौ छियासी) है जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाना शेष है। प्रस्तुत प्रकरण में मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्षों को सुना गया। चूंकि विपक्षी/विभाग द्वारा विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिवादी की अधिक बिल संबंधी का समाधान कर दिया है। साथ ही परिवादी ने भी दूरभाष से विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की है। ऐसे में मामला/परिवाद आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

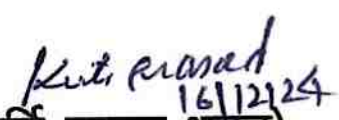
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का चैक मीटर स्थापित कर निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-210/2024

दिनांक:- 18.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बन्सी लाल, ग्राम जसपु ब्रह्मखाल
डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बन्सी लाल, ग्राम जसपु ब्रह्मखाल डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-03/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू०के१४११९४१२४८१ पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत हुए हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन की जांच कराकर बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 124/वि०उ०शि०नि०म०उका फोरम दिनांक 03.12.2024 के मार्फत उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु नोटिस दिया गया और दिनांक-16/12/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 386/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 14.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 17.01.2008 से 31.05.2020 तक एन०आर० और आई०डी०एफ के बिल निर्गत हुए और उपभोक्ता का वर्तमान बिल रु० 183940.00 (एक लाख तिरासी हजार नौ सौ चालीस) है।

18/12/24

18/12/2024

18/12/24 क्रमशः 2.....

विपक्षी/विभाग द्वारा प्रेषित बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि उक्त संयोजन पर परिवादी को जारी समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार (दो बिलिंग चक्रों से अधिक जारी नहीं रहेगी) संशोधित कर आज ही पेश करें। विपक्षी/विभाग की ओर से उक्त सुनवाई के दौरान ही आख्या पत्रांक 393/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 14.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी को निर्गत समस्त एन0आर0 और आई0डी0एफ बिलों को नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बीजक की धनराशि रु0 183940.00 (एक लाख तिरासी हजार नौ सौ चालीस) से घटाकर रु0 24224.00 (चौबीस हजार दो सौ चौबीस) कर दी गई है।

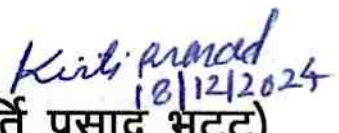
उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का परीशीलन किया गया। चूंकि विपक्षी/विभाग ने परिवादी को रु0 183940.00 (एक लाख तिरासी हजार नौ सौ चालीस) का बिल जारी किया था। प्रकरण मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी को प्रेषित बिल को संशोधित कर नया बिल रु0 24224.00 (चौबीस हजार दो सौ चौबीस) का जारी किया गया। इसका प्रमाण विपक्षी ने मंच के समक्ष संशोधित बिलिंग हिस्ट्री बतौर प्रमाण प्रस्तुत की गई। बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर मंच ने पाया कि विपक्षी ने परिवादी का बिल विद्युत विनियम के अनुसार संशोधित कर दिया है। संशोधित बिल पर परिवादी ने दूरभाष पर संतुष्टि जाहिर की है। ऐसे में परिवादी की ज्यादा बिल संबंधी शिकायत का विपक्षी/विभाग द्वारा समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित करने योग्य है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की अधिक बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-150/2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मदन लाल पुत्र श्री भगतू ग्राम धारकोट पो0 बनचौरा
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मदन लाल पुत्र श्री भगतू ग्राम धारकोट पो0 बनचौरा चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-14/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0के24134417019 पर माह 07/2018 से माह 12/2022 तक सभी बिल आई0डी0एफ के आधार पर निर्गत किए गए हैं जिनका संशोधन नहीं किया गया है, और वर्तमान में विद्युत बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध किया कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधन कर सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 116/वि0वि0उ0ख0उका फोरम दिनांक 14.11.2024 के मार्फत उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु नोटिस दिया गया और दिनांक-25/11/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 371/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त

Signature
16/12/24

Signature
16/12/2024

क्रमशः 2.....
Signature
16/12/24

संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 15.01.2018 से 16.10.2022 तक समस्त बिल आई0डी0एफ पर निर्गत किए गए, और वर्तमान में उपभोक्ता पर रु0 17908.00 (रुपये सत्रह हजार नौ सौ आठ) का बकाया है। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 379/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से एक और आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को जारी समस्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त करते हुए रु0 17908.00 (रुपये सत्रह हजार नौ सौ आठ) से संशोधित कर रु0 15022.00 (रुपये पंद्रह हजार बाइस) बनाया गया है।

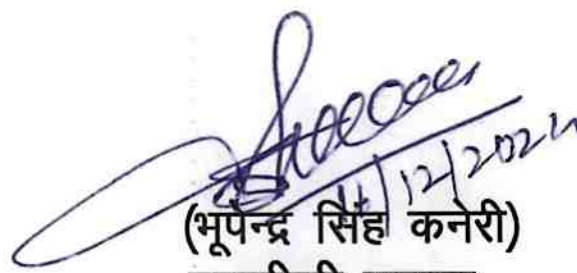
प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने और पत्रावली का परीक्षण किया गया। मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

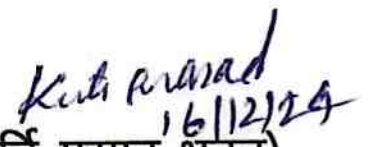
:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित आई0डी0एफ बिलों में सुधार एवं संशोधन कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। साथ ही परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने बिल को ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-141/2024

दिनांक:- 17.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

उपभोक्ता – श्री विजय कुमार, ग्राम नैताला (सिरोर) उत्तरकाशी।
शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र स्व० श्री इन्द्रमणी, ग्राम नैताला तह० भटवाडी
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी/शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र स्व० श्री इन्द्रमणी, ग्राम नैताला तह० भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-08/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू०के२१११८०१४९४३ पर विद्युत खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें, और साथ ही परिवादी का अनुरोध है कि उपरोक्त संयोजन पर निर्गत बिल के संशोधन होने तक संयोजन को विच्छेदित न किया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-107/2024 वि०उ०शि०नि०म०उका फोरम/दिनांक-08/11/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

[Signature]
17/12/24

[Signature]
17/12/2024

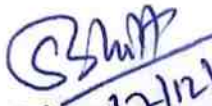
[Signature]
17/12/24
क्रमशः 2.....

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 820/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल माह 06/2024, 08/2024 एवं 10/2024 की विद्युत खपत क्रमशः 273, 272 एवं 232 यूनिट है, और उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं।

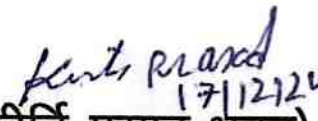
उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परीशीलन करने पर मंच ने पाया है कि परिवादी ने खपत से ज्यादा बिल प्रेषित करने की शिकायत दर्ज की है। जबकि विपक्षी/विभाग ने अपने जवाब में सही खपत का बिल जारी करने का दावा किया है। इसका प्रमाण विपक्षी ने संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष पेश की है। उक्त बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर मंच ने पाया है कि परिवादी की उपभोग की गई विद्युत की खपत संविदाकृत भार 2 कि0वा0 के अंतर्गत तकनीकी दृष्टि से बिल सही निर्गत किए गए हैं। साथ ही परिवादी ने भी विपक्षी/विभाग की कार्यवाही पर संतुष्टि जाहिर की तथा निर्गत बिलों की अवशेष धनराशि रु0 10175.00 (रुपये दस हजार एक सौ पिचहत्तर) दिनांक 04.11.2024 को जमा कर दी गई है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त आधार पर शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उक्त परिचर्चा के आधार पर निम्न आदेश पारित किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी/शिकायतकर्ता का परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूषेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-218/2024

दिनांक:- 18.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

उपभोक्ता श्रीमती जंगली देवी, ग्राम ग्योनोटी पो0 मंजगांव उत्तरकाशी।
शिकायतकर्ता श्री पंकज लाल पुत्र श्री मुरारी लाल, ग्राम ग्योनोटी
पो0 मंजगांव उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी/शिकायतकर्ता श्री पंकज लाल पुत्र श्री मुरारी लाल, ग्राम ग्योनोटी पो0 मंजगांव उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-09/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के14121417763 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अत्यधिक, और सभी बिल एन0आर0 और आई0डी0एफ के आधार पर दिए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध किया कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधन कर सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 135/वि0वि0उ0ख0उका फोरम दिनांक 09.12.2024 के मार्फत उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु नोटिस दिया गया और दिनांक-16/12/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

दिनांक 16.12.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग की ओर से प्रेषित बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि उक्त संयोजन

[Signature]
18/12/24

[Signature]
18/11/2024

[Signature]
18/12/24 क्रमशः 2.....

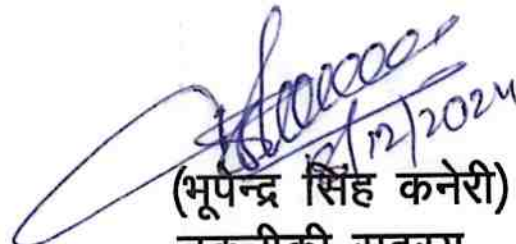
पर परिवादी को जारी समस्त आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार (दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी) संशोधित करें। उक्त सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 395/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 16.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि माननीय मंच के आदेशानुसार उपभोक्ता के उक्त संयोजन पर निर्गत समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों का संशोधन कर दिया गया है। संशोधित बीजक की धनराशि रु0 123901.00 (रुपये एक लाख तेईस हजार नौ सौ एक) से घटाकर रु0 15456.00 (रुपये पंद्रह हजार चार सौ छप्पन) कर दी गयी है।

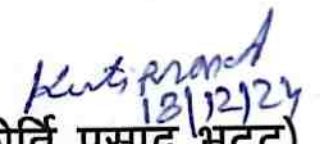
उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परीक्षण करने पर मंच ने पाया है कि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। मंच द्वारा विपक्षी की कार्यवाही से परिवादी को अवगत कराया गया। परिवादी ने दूरभाष पर विपक्षी की कार्यवाही पर सहमति जताई है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी/शिकायतकर्ता का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की अधिक बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। साथ ही परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने बिल को ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**

(Uttarkashi)

Electricity Distribution Division,

Uttarkashi – 249193

Ph: +91 7895754011, 9412139791

E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)

विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी

पिन: 249193

दूरभाष: +917895754011, 9412139791

ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-128/2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

प्रकृति रावत (प्रकृति रिसोर्ट), C/o त्रेपन सिंह भण्डारी ग्राम/पो0 हर्षिल
भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी प्रकृति रावत (प्रकृति रिसोर्ट), C/o त्रेपन सिंह भण्डारी ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-26/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित हर्षिल शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके रिसोर्ट में लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। परिवादी का मंच से अनुरोध है कि उक्त केबिल को सुव्यवस्थित कर राहत प्रदान की जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 809/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त स्थल की लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु उनके द्वारा पत्रांक 801/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से संबंधित अवर अभियन्ता को स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या प्रस्तुत होते ही मंच को अनुपालन आख्या से अवगत करा दिया जाएगा।

विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 844/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया कि ग्राम हर्षिल में क्षेत्र में अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया कि यात्राकाल में 33/11 के0वी0 उपसंस्थान मल्ला में 33 के0वी0 सप्लाय तिलोथ पॉवर हाउस से 30 के0वी0 से 32.5 के0वी0 प्राप्त होने व 11 के0वी0 हर्षिल फीडर की अधिक लम्बाई 70 कि0मी0 तथा यात्राकाल में हर्षिल फीडर पर लगे कुल 60 परिवर्तक (ट्रांसफार्मर) में से अधिकतर पूर्ण क्षमता से विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिससे क्षेत्र में यात्राकाल के समय अधिक लोड होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। वर्तमान में हर्षिल क्षेत्र में लोड घटने के उपरान्त वोल्टेज सामान्य है।

19/12/24

19/12/24

19/12/24

क्रमशः 2.....

विभाग द्वारा फारेस्ट विभाग/उरेडा/उद्यान विभाग से हर्षिल या आस-पास 33/11 के0वी0 उपसंस्थान निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु उच्चाधिकारियों से लगातार सम्पर्क स्थापित किया गया है परन्तु वन विभाग द्वारा भूमि की संस्तुति वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हो पायी है। RDSS योजना के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा हर्षिल क्षेत्र में 33/11 के0वी0 उपसंस्थान प्रस्तावित है, जिसके निर्माण से लो-वोल्टेज की समस्या का निस्तारण किया जाना संभव होगा।

मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया और उभय पक्षों को सुना। विभाग द्वारा लो-वोल्टेज की समस्या स्वीकार की गयी, और यह अवगत किया कि हर्षिल फीडर में लोड अधिक होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या है, और समाधान हेतु 33/11 के0वी0 उपसंस्थान (जो कि RDSS योजना में प्रस्तावित है) बनने से समस्या का निदान संभव है पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पाया। **UERC (Standards of Performance) Regulations 2022** की अनुसूची-I **Guaranteed and Overall Standards of Performance** के पैरा 1.3 में **Quality of Power Supply** के अन्तर्गत विनियम 1.3.1(1) के मानक नियत किए गए हैं, और पैरा 1.3.1(2) में वोल्टेज की समस्या का निस्तारण हेतु समय सीमा तय की गई है। तथा अनुसूची-III में तय समय सीमा पर समस्या का निस्तारण न होने पर विपक्षी/विभाग परिवादी को प्रतिपूर्ति देने के मानक दिए गए हैं।

उपरोक्त विनियमों के अनुसार वोल्टेज की समस्या का निदान में **Installation & Up-grading of HT/LT System** की समय सीमा 180 दिनों में करना अनिवार्य है। समय पर समस्या का निदान न होने पर मंच प्रतिपूर्ति राशि Award करने के लिए विनियम के तहत बाध्य होगा। उपरोक्त विनियम निम्नवत है-

1.3.2 Voltage variations:

(1) The Licensee shall maintain the voltages at the point of commencement of supply to consumer within the limits stipulated hereunder, with reference to declared voltage:

- In the case of Low Voltage (LT), +6% and -6%
- In the case of Hige Voltage (HT), +6% and -9%, and,
- In the case of Extra High Voltage (EHT), +10% and -125%.

(2) The voltage problem shall be resolved with the time limits specified in Table given below.

Installation & Up-gradaion of HT/LT System	Within 90 days- for LT System Within 180 days- for HT System
--	---

उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

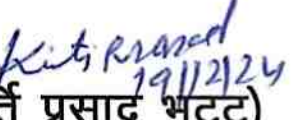
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की वोल्टेज की समस्या का निस्तारण उपरोक्त विनियम के अनुसार 180 दिवसों के भीतर करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-212/2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, ग्राम मोटाना पो0 ओखलाखाल
प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, ग्राम मोटाना, पो0 ओखलाखाल प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-07/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच21204130767 पर विगत कई माह से विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जो कि एन0ए0 पर आधारित हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा पत्रांक 129/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 07.12.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

उक्त परिवाद की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संयोजन का लेजर प्रस्तुत किया गया।


19/12/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


19/12/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

क्रमशः 2
19/12/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने लम्बे समय से एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई है। परिवाद मंच में दर्ज होने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती को स्वीकार कर परिवादी को जारी एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल को संशोधित कर रु0 6979.00 (छः हजार नौ सौ नवासी) में रु0 5736.00 (पांच हजार सात सौ छत्तीस) का समायोजन देते हुए 1243.00 (एक हजार दो सौ तैतालीस) का नया बिल निर्गत किया है। चूंकि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का समाधान कर दिया है और विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने भी दूरभाष पर सहमति जाहिर की है, ऐसे में परिवाद/मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर निम्न आदेश पारित किया जाता है।

:: आदेश ::

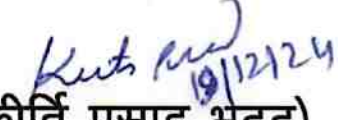
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-108 / 2024

दिनांक:- 17.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पूलम लाल पुत्र श्री कुला लाल, ग्राम अदनी पो0 रौतल
डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री पूलम लाल पुत्र श्री कुला लाल, ग्राम अदनी पो0 रौतल डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-21/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0क24146413537 पर विद्युत बिल की वर्तमान धनराशि काफी अधिक हो गई है, जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-92/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-21/10/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-11/11/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 344/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को दिनांक 18.02.2008 से 20.06.2021 तक समस्त विद्युत बिल एन0आर0/आई0डी0एफ के आधार पर

(Signature)
17/12/24

(Signature)
17/12/2024

(Signature)
17/12/24
क्रमशः 2.....

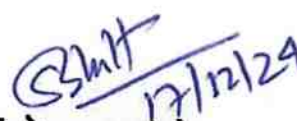
निर्गत किए गए। तथा इसके बाद के समस्त विद्युत बिल एम0यू0 पर निर्गत हुए, और उपभोक्ता पर वर्तमान में रु0 116918.00 (एक लाख सोलह हजार नौ सौ अठ्ठारह) का बकाया है। मंच द्वारा परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी को निर्गत समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों (दो बिलिंग चक्रों को छोड़कर) को विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निरस्त कर बिल संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई में पेश करें।

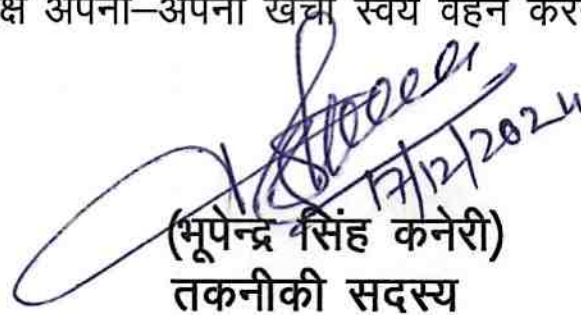
दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 362/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार परिवादी के बिल में दो बिलिंग चक्र से अधिक प्रदर्शित आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतयः समाप्त कर संशोधित बिल बना दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 23260.00 (तेइस हजार दो सौ साठ) है। मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया। मंच ने पाया कि परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया है। उपभोक्ता द्वारा बिल भुगतान न करने की वजह से बिल की धनराशि अधिक हो गई है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी को निर्गत एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों का समायोजन पूर्व में ही दिया जा चुका है।

मंच का मत है कि परिवादी की उपरोक्त बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर लिया गया है। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-140/2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री सोबन सिंह, ग्राम मैनोल
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

परिवादिनी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री सोबन सिंह, ग्राम मैनोल (जुणगा) चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-06/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, को प्राप्त हुआ। परिवादिनी का कथन है कि वर्ष 2018 में विद्युत विभाग द्वारा चलाई गयी सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये संयोजन हेतु आवेदन किया गया था जिसका संयोजन संख्या यू0के24120441227 है, पर वर्तमान तक मीटर स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन विभाग द्वारा लगातार अनावश्यक बिल दिए जा रहे हैं। मंच से परिवादिनी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही विपक्षी/विभाग को उक्त संयोजन की जांच आख्या दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु पत्रांक 106/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 06.11.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 352/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन का स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर मीटर एवं मीटर केबिल नहीं लगी हुई थी और उपभोक्ता पर वर्तमान में बिल रु0 9838.00 (रुपये नौ हजार आठ सौ अड़तीस) का बकाया है। उक्त सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को परिवाद की सुस्पष्ट आख्या अगली सुनवाई में पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

[Signature]
16/12/24

[Signature]
16/12/2024

[Signature]
16/12/24
क्रमशः 2.....

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 366/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की, जिसमें मंच को अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार परिवादिनी के संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित किया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 9838.00 (रुपये नौ हजार आठ सौ अड़तीस) से रु0 5757.00 (रुपये पांच हजार सात सौ सत्तावन) बनाई गयी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के (The Electricity Supply code, Release of New Connection and Related Matters) Regulation, 2020 के अध्याय 5 (Metering and Billing) के उपविनियम 5.1.1 (1) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि उपभोक्ता को संयोजन बिना मीटर के नहीं दिया जा सकता है, उक्त विनियम निम्नवत है—

"5.1.1 (1) No Intallation shall be serviced without a meter. All meters shall conform to requirements as laid down in the Central Electricity Authority (Installation & Operation of meters) Regulation, 2006/metering Communication and Data Acquisition Requirements (MCDAR) as per UERC (State Gride Code) Regulation 2016 as amended from time to time. Any Changes in the MCDAR shall be based on the recommendations of the MCDAR Committee with the Approval of the Commission."

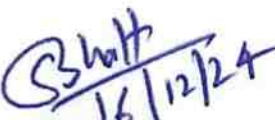
एवं उक्त उपविनियम के 5.2.1 (2) के अनुसार उपभोक्ता को वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किए जाएं।

"5.2.1 (2) The Licensee shall raise the bill for every billing cycle based on actual meter readings."

मंच का मत है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को बिना मापक एवं बिना वास्तविक खपत के आधार पर बिल निर्गत करना उपरोक्त विनियम का उल्लंघन है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादिनी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त संयोजन पर परिवादिनी को निर्गत समस्त बिल निरस्त करें, साथ ही परिवादिनी के परिसर पर तत्काल मीटर स्थापित करने पर ही बिल निर्गत करना सुनिश्चित करें। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

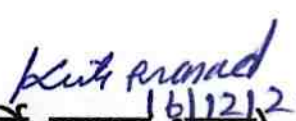

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

तकनीकी सदस्य

निम्न उपभोक्ता शिकायत
दिनांक 16/12/2024


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-136 / 2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रामभरोषा पुत्र स्व० श्री जगदीश, ग्राम/पो० पूजारगांव
धनारी डुण्डा उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री रामभरोषा पुत्र स्व० श्री जगदीश, ग्राम/पो० पूजारगांव, धनारी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-29/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू०के१४११२४१०४५७ पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अत्यधिक आ रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध किया कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधन कर सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 99/वि०वि०उ०ख०उका फोरम दिनांक 29.10.2024 के मार्फत उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु नोटिस दिया गया और दिनांक-11/11/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 349/वि०वि०उ०ख०चि० दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता को विद्युत बिल दिनांक 21.05.2011 से 10.07.2018 तक आई०डी०एफ पर तथा दिनांक 11.01.2023 से 09.09.2024 तक

Signature
16/12/24

Signature
16/12/2024

Kirti Prasad
16/12/24

एन0आर0 पर निर्गत किए गये, और वर्तमान में परिवादी पर रु0 51200.00 (रुपये इक्यावन हजार दो सौ) के बिल का बकाया है। उक्त सुनवाई के दौरान मंच द्वारा परिवादी के संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन किया गया और विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त संयोजन पर परिवादी को जारी समस्त आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार (दो बिलिंग चक्र से अत्यधिक) संशोधित कर संशोधित बिल अगली सुनवाई में पेश करें।

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 363/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के पत्र के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र से अत्यधिक निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को मंच के आदेशानुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बीजक की धनराशि रु0 51200.00 (रुपये इक्यावन हजार दो सौ) से रु0 30894.00 (रुपये तीस हजार आठ सौ चौरानवे) बनाई गयी है।

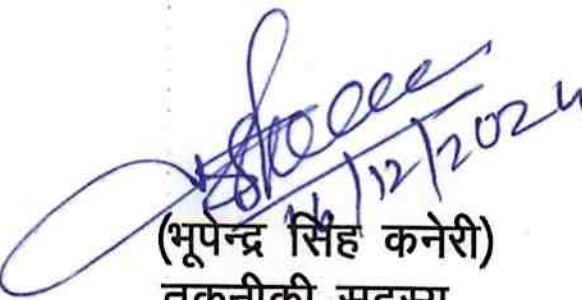
उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परीक्षण करने पर मंच ने पाया है कि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश किया। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

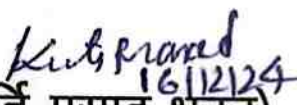
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। साथ ही परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने बिल को ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: -Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-113/2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रतन सिंह राणा पुत्र श्री इन्दर सिंह, ग्राम हुरी (गंगनानी)
भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

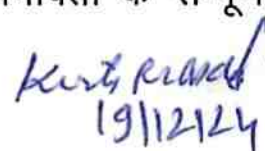
परिवादी श्री रतन सिंह राणा पुत्र श्री इन्दर सिंह, ग्राम हुरी (गंगनानी) भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-25/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा हुरी (गंगनानी) शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0के66366594135 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के निर्गत हुए हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया जाए और उनके बिल को संशोधित करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग को उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या दिनांक-11/11/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौखिक आदेशित किया गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 805/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता के सम्पूर्ण बिल माह


19/12/24


19/12/2024


19/12/24

क्रमशः 2.....

08/2024, 09/2024 एवं 10/2024 की खपत क्रमशः 171, 33 एवं 101 यूनिट है। उपभोक्ता का विद्युत बीजक रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किए जा रहे हैं।

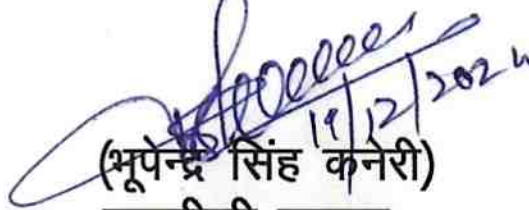
मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उपभोक्ता का बिल, उपभोक्ता को स्वीकृत भार के अनुरूप अधिक नहीं है। अतः उक्त परिवाद खारिज किया जाता है। यदि उपभोक्ता चाहे तो वह अपने संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की शुद्धता हेतु चेक मीटर लगवा सकता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-130/2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सेंबल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सेंबल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-26/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा हर्षिल शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0के21110007186 पर विद्युत बिल आर0डी0एफ के आधार पर निर्गत किए जा रहे हैं, और वर्तमान बिल की धनराशि काफी अधिक है जिसे जमा करना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा शिविर के दौरान विपक्षी/विभाग को उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या दिनांक-11/11/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मौखिक आदेशित किया गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 816/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को माह 10/2024 तक निर्गत समस्त आर0डी0एफ बिलों को नियमानुसार संशोधित कर दिया गया है।

(Signature)
16/12/24

(Signature)
16/12/2024

(Signature)
16/12/24

क्रमशः 2.....

संशोधित बीजक की धनराशि रु0 -654.00 (रुपये ऋणात्मक छः सौ चौवन) है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली का परीक्षण किया गया, तथा उभय पक्षों को सुना गया। चूंकि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश कर बिल सुधार कर दिया गया है। विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि जाहिर की। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उनके अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर दिया है। ऐसे में मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करे। उपरोक्त परिचर्या के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य

तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-149/2024

दिनांक:- 18.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शान्ति लाल पुत्र श्री डुडु लाल, ग्राम भड़कोट चिन्यालीसौड़
उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री शान्ति लाल पुत्र श्री डुडु लाल, ग्राम भड़कोट चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-14/11/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके विद्युत संयोजन संख्या यू0के24144410647 का विद्युत बिल विगत कही माह से जमा नहीं हुआ है जिस कारण बिल की धनराशि काफी अधिक हो गई है जिसे जमा कर पाना संभव नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को पत्रांक 115/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 14.11.2024 के मार्फत उक्त संयोजन की सुस्पष्ट आख्या पेश करने हेतु नोटिस दिया गया और दिनांक-25/11/2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

दिनांक 25.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 370/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.11.2024 के मार्फत आख्या पेश की और मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल दिनांक 18.02.2008 से 16.12.2015 तक सभी बिल आई0डी0एफ पर निर्गत हो रहे हैं, तथा इसके बाद के समस्त बिल एम0यू0 पर आधारित हैं। उपभोक्ता का वर्तमान बिल

Shakti
18/12/24

Shakti
18/12/2024

Kumar
18/12/24

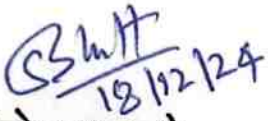
क्रमशः 2.....

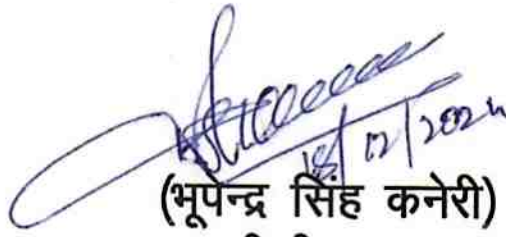
रु0 67482.00 (सड़सठ हजार चार सौ बयासी) है। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया कि उक्त संयोजन पर परिवादी को जारी समस्त एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार (दो बिलिंग चक्रों से अधिक जारी नहीं रहेगी) संशोधित करें। उक्त सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 378/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 25.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी को निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को पूर्णतया समाप्त कर रु0 67482.00 (सड़सठ हजार चार सौ बयासी) से संशोधित कर रु0 37206.07 (सैंतीस हजार दो सौ छः रुपये सात पैसे) कर दिया गया है।

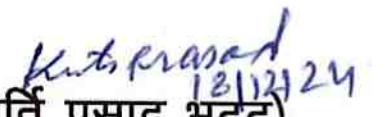
उभय पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परीक्षण करने पर मंच ने पाया है कि मामले में विपक्षी ने परिवादी को माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत आई0डी0एफ बिल जारी किए गए थे, मामला मंच में आने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती स्वीकार कर परिवादी का बिल नियमानुसार संशोधित कर मंच के समक्ष संशोधित बिल, बिलिंग हिस्ट्री सहित पेश की। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का विद्युत विनियम के अनुसार समाधान कर रु0 67482.00 (सड़सठ हजार चार सौ बयासी) से संशोधित कर रु0 37206.07 (सैंतीस हजार दो सौ छः रुपये सात पैसे) कर दिया है। इस पर मंच द्वारा विपक्षी/विभाग की कार्यवाही से परिवादी को दूरभाष से अवगत कराया गया। परिवादी विभागीय कार्यवाही से पूर्णतया संतुष्ट है। ऐसे में प्रकरण/मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। मंच ने विपक्षी को हिदायत दी कि वह उपभोक्ताओं की बिलिंग व्यवस्था में सुधार लाएं। ताकि उपभोक्ताओं पर लम्बे समय तक अधिक भार न पड़े। साथ ही उपभोक्ता भी समय पर विद्युत बिलों का भुगतान करें। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी/शिकायतकर्ता का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। साथ ही परिवादी को हिदायत दी जाती है कि वह अपने बिल को ससमय जमा करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: -249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल :- Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-215/2024

दिनांक:- 19.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सिंगरफ सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह, ग्राम मोटाना, पो0 ओखलाखाल
प्रतापनगर टिहरी।

परिवादी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सिंगरफ सिंह पुत्र श्री अब्बल सिंह, ग्राम मोटाना, पो0 ओखलाखाल प्रतापनगर टिहरी का शिकायती पत्र दिनांक-07/12/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उन्हें विद्युत संयोजन संख्या टी0एच21204130767 पर विगत कई माह से विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जो कि एन0ए0 पर आधारित हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उन्हें उपरोक्त संयोजन के सापेक्ष सही बिल दिया जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा पत्रांक 132/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 07.12.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 18.12.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

उक्त परिवाद की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा मंच के समक्ष उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री एवं संयोजन का लेजर प्रस्तुत किया गया।

[Signature]
19/12/24

[Signature]
19/12/2024

[Signature]
19/12/24

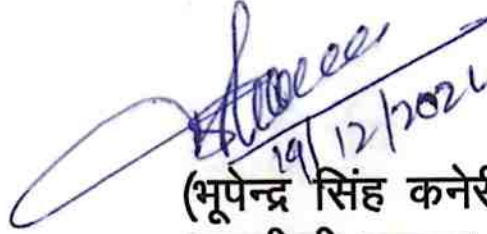
क्रमशः 2.....

उभय पक्षों को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी ने लम्बे समय से एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई है। परिवाद मंच में दर्ज होने के बाद विपक्षी ने अपनी गलती को स्वीकार कर परिवादी को जारी एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल को संशोधित कर रु0 13421.00 (तेरह हजार चार सौ इक्कीस) में रु0 5489.00 (पांच हजार चार सौ उन्नवे) का समायोजन देते हुए रु0 7932.00 (सात हजार नौ सौ बत्तीस) का नया बिल निर्गत किया है। चूंकि विपक्षी ने परिवादी की अधिक बिल वाली समस्या का समाधान कर दिया है और विपक्षी की कार्यवाही पर परिवादी ने भी दूरभाष पर सहमति जाहिर की है, ऐसे में परिवाद/मामला आगे ले जाना उचित नहीं है। उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर निम्न आदेश पारित किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग ने परिवादी की एन0ए0 पर आधारित अधिक बिल संबंधी समस्या का समाधान कर दिए जाने पर मामला निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph: +91 7895754011, 9412139791
E-mail: Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन: 249193
दूरभाष: +917895754011, 9412139791
ई-मेल: Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-126/2024

दिनांक:- 20.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विजय कुमार पुत्र श्री बालमदास, ग्राम/पो0 हर्षिल
भटवाडी उत्तरकाशी।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र श्री बालमदास, ग्राम/पो0 हर्षिल भटवाडी उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-26/10/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी द्वारा आयोजित हर्षिल शिविर के दौरान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनका संयोजन मेन पोल से लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर है, परन्तु केबिल उनके सानवी होमस्टे की पार्किंग के मध्य से आ रही है, जिससे वाहनों के आवाजाही में रुकावट की संभावना बनी रहती है, जो कि भविष्य के लिए खतरा साबित हो सकती है। परिवादी का मंच से अनुरोध है कि उक्त केबिल को सुव्यवस्थित कर राहत प्रदान की जाए।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को उक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय जांच आख्या दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करने हेतु कहा गया।

दिनांक 11.11.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 809/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उक्त

S2mH
20/12/24

[Signature]
20/12/24

[Signature]
20/12/24

क्रमशः 2.....

समस्या के समाधान हेतु उनके द्वारा पत्रांक 801/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से संबंधित अवर अभियन्ता को स्थलीय निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। आख्या प्रस्तुत होते ही मंच को अनुपालन आख्या से अवगत करा दिया जाएगा। विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्रांक 847/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर उक्त समस्या का निस्तारण एक सप्ताह के भीतर प्राक्कलन गठित कर दिया जाएगा, और प्राक्कलन की धनराशि जमा मद में जमा होने के उपरान्त शिकायत का निस्तारण किया जा सकेगा।

मंच ने पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी का परिसर निकटतम पोल से 50-60 मीटर की दूरी पर होने के कारण पार्किंग के मध्य में विद्युत केबिल आ रही है, जिससे कि वाहनों के टकराने एवं करंट लगने का भय बना हुआ है। विपक्षी/विभाग ने स्थलीय निरीक्षण कर पुष्टि करते हुए प्रकरण में प्राक्कलन एक सप्ताह के भीतर गठित करने और धनराशि जमा होने के उपरान्त शिकायत का निस्तारण का कथन मंच के समक्ष किया है। चूंकि प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी द्वारा विद्युत सेवाओं एवं सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि वह विद्युत विनियम के कार्य निष्पादन के मानकों को पालन कर परिवादी की समस्या का नियमानुसार समाधान करें।

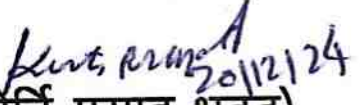
उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर मामला निस्तारित किया जाता है। मामले में निम्नांकित आदेश जारी किया जाता है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी उपरोक्तानुसार परिवादी की समस्या का समाधान करे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य


(भूपन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

**Electricity Consumer Grievance
Redressal Forum**
(Uttarkashi)
Electricity Distribution Division,
Uttarkashi – 249193
Ph:-+91 7895754011, 9412139791
E-mail:-Cgrfuki@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(उत्तरकाशी)
विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी
पिन:-249193
दूरभाष:-+917895754011, 9412139791
ई-मेल :-Cgrfuki@gmail.com

परिवाद संख्या-99/2024

दिनांक:- 16.12.2024

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपस्थित: श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
(न्यायिक सदस्य)
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(तकनीकी सदस्य)
श्री संतोष भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती विजया देवी ग्राम/पो0 कल्याणी डुण्डा
उत्तरकाशी।

परिवादिनी

बनाम

अधिकांसी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

विपक्षी

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती विजया देवी ग्राम/पो0 कल्याणी डुण्डा उत्तरकाशी का शिकायती पत्र दिनांक-23/09/2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखित कथन किया गया कि उनके संयोजन संख्या यू0के14120436818 पर विद्युत बिल खपत की अपेक्षा अधिक आ रहा है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उनके बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त शिकायती पत्र को मंच द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। साथ ही मंच द्वारा अपने पत्रांक संख्या-82/2024 वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक-23/09/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस जारी कर दिनांक-28/09/2024 तक मंच के समक्ष आख्या/जवाब दावा सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक 28.09.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय जांच आख्या अप्राप्त रही। दिनांक 15.10.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 322/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के बिल मीटर यूनिट पर आधारित है, और उपभोक्ता का वर्तमान बिल

[Signature]
16/12/24

[Signature]
16/12/2024

[Signature]
16/12/24

क्रमशः 2.....

रु0 47852.00 (सैंतालिस हजार आठ सौ बावन) का है। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन निर्गत होने की तिथि से आज तक मात्र रु0 34000.00 (चौंतीस हजार) का ही भुगतान किया है।

दिनांक 18.10.2024 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को परिवादी को निर्गत समस्त एन0आर0 बिलों को नियमानुसार निरस्त कर बिल संशोधित करें। मंच द्वारा पत्रांक 101/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 30.10.2024 के मार्फत विपक्षी/विभाग को लिखित आदेश प्रेषित किया गया कि वह परिवादिनी के बिल में जमा धनराशि रु0 34000.00 (चौंतीस हजार) को घटाते हुए बिल संशोधित कर सुस्पष्ट आख्या मंच की अगली सुनवाई के दौरान पेश करें। विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 353/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 08.11.2024 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादिनी के बिल में रु0 34000.00 (रुपये चौंतीस हजार) को दिनांक 27.03.2024 घटा दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच ने पाया कि परिवादी की रु0 34000.00 (चौंतीस हजार) धनराशि को विपक्षी/विभाग ने दिनांक 19.03.2024 के बिल रु0 78648.00 (अट्ठहत्तर हजार छः सौ अडतालीस) से घटा दी है, जो कि दिनांक 21.05.2024 के बिल रु0 45858.00 (पैंतालीस हजार आठ सौ अठावन) में घटाने की पुष्टि होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी को विभाग द्वारा सही बिल दिया गया है। साथ ही परिवादी को निर्गत आई0डी0एफ/एन0आर बिलों को लाभ पूर्व में दिया जा चुका है। उक्त आधार पर परिवाद बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपभोक्ता का बिल स्वीकृत भार की तुलना में अधिक प्रतीत न होने के कारण यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो विभाग में नियमानुसार मापक परीक्षण शुल्क जमा कर चेक मीटर लगवाकर मापक की शुद्धता की जांच करवाने को स्वतंत्र है। इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा समय पर बिल जमा न होने के कारण बिल की धनराशि बढ़ी है। उपरोक्तानुसार मामला अस्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

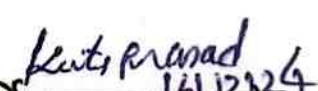
परिवादिनी का परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(संतोष भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(भूपेन्द्र सिंह कनेरी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी